No. 514291 **Himachal Government Judicial Paper**

R.S

वसीयत नामा

Presented by
Sh. Ramswarup
the registrant
[illegible] 23/1/90

मैं कि राम स्वरूप पुत्र श्री कालु वासी [illegible] [illegible] चार
पिजलका तह. [illegible] जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का हूँ।

जो कि मेरी आयु इस समय लगभग 60 साल की हो चुकी है,
इस जिन्दगी नापायदार का कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त
और किस जगह सफर आखरी दरपेश आवे, मेरा केवल एक
लड़का श्री ओम प्रकाश है, तथा तीन लड़कियां सर्व श्रीमति सत्यदेवी
व सुख देवी और [illegible] हैं, मैं अपनी पुत्रियों की शादी कर
चुका हूँ और जो हिस्सा मैंने उन को देना था वह दे चुका हूँ।
श्रीमति [illegible] देवी मेरी धर्म पत्नी है जो कि मेरे साथ ही रहती
है, मैं अपनी जायदाद की वसीयत करना चाहता हूँ ताकि बाद
वफात मेरे मुल्क मिलकियत के वारिसान में कोई झगड़ा पैदा न होवे।
अतः बजाहिर बसेहत नफस व सबात अकल होश व हवास खमसा
बिद बिला किसी दबाव व बहकाव के बजरिये तहरीर हजा
वसीयत करता और लिख देता हूँ कि बाद वफात मेरी मेरी
मिलकियत जायदाद मनकुला व गैर मनकुला हर किस्म जहां
कहीं पर भी किसी भी मौजा में है या आइन्दा होगी
का वारिस मालिक श्री ओम प्रकाश मेरा पुत्र ही होगा और
किसी शख्स को मेरी जायदाद किस्म व किस्म से कोई
ताल्लुक या वास्ता न होगा। अगर कोई शख्स दावेदार होगा,
तो वह झूठा होगा और अदालत में ना [illegible] होगा।
ताम [illegible] मनकूल ही मेरे [illegible] देने का जिम्मेवार
होगा। और बाद वफात [illegible] [illegible] इस वसीयत के चारों

No. 517551 **Himachal Government Judicial Paper**

- शासन करने का जिसे का भी होगा। श्री ओम प्रकाश का यह फर्ज होगा कि वह ता हयात जोजा-ए-ओम की सेवा करें और उस को नान व नफका देता रहे। बसूरत खिलाफ वर्जी श्रीमति द्रोपता देवी जोजा ओम को बजरिये अदालत मजाज हक रसी हासिल करने का मजाज होगा। वसीयत हजा का नफाज मेरे मरने के बाद होगा। अत: यह चन्द कलमात बतौर वसीयत नामा के बतौर तहरीर कर दिये कि समय पर काम आवे। मिति 23.1.90.

गवाह
श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
वासी [illegible]
तह. ठियोग

राम स्वरूप

गवाह
श्री उमा शंकर प्रधान
[illegible]
कोटखाई तह. ठियोग

[signature]

[signature]

[stamp: Dass ... Petition Writer ... Distt. Shimla (H.P.)]